



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ भरतपुर में सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

➤ आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 13 जुलाई, गुरुवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अमीरचंद सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना उच्चैन, जिला भरतपुर को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी अमीरचंद सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना उच्चैन, जिला भरतपुर द्वारा 11 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में एसीबी की भरतपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये अमीरचंद पुत्र श्री मुरारी लाल धोबी निवासी ग्राम बसैया, पुलिस थाना लखनपुर, जिला भरतपुर हाल निवासी एल.बी. शास्त्रीनगर, सेवर, भरतपुर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना उच्चैन, जिला भरतपुर को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सहायक उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 1 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।